

## विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या 1356/ XVII-(2)/2018-3(2) / 2016 दिनांक 11 मई 2018 द्वारा आपदा प्रबन्धन विभाग के अधीन गठित राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण में तथा प्राधिकरण के अन्तर्गत गठित राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण में पुनर्गठन एवं स्वीकृति पदों के सापेक्ष जनपद अल्मोड़ा में रिक्त पदों हेतु शासनादेश में दिए गए प्रतिबंधों के अधीन नियत वेतन/संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु अर्ह अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं जो कि नितान्त अस्थायी हैं:-

क्र०सं०	पद का नाम	अधिकतम वेतन/मानदेय (रू०में)
1	सहायक कंसलटेंट	20,000.00 प्रति माह
2	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	35,000.00 प्रति माह

निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र में मय समस्त शैक्षिक योग्यता, अनुभव, प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों को डाक/दस्ती के माध्यम से जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, जिलाधिकारी कार्यालय परिसर, अल्मोड़ा में दिनांक 31 जुलाई, 2021 की अपरान्ह 05:00 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। अपूर्ण आवेदन-पत्र तथा निर्धारित तिथि/समय के बाद किसी भी माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के लिफाफे पर जिस पद हेतु आवेदन किया जा रहा है उसका अंकन अनिवार्य रूप से किया जाय। आवेदन-पत्र का प्रारूप, पदों से सम्बन्धित शैक्षिक योग्यता/अनुभव (अर्हता/पात्रता) एवं अन्य शर्तें वैबसाईट <https://almora.nic.in> से डाउनलोड की जा सकती हैं।

हं/-  
जिलाधिकारी  
अल्मोड़ा

कार्यालय जिलाधिकारी, अल्मोड़ा:

संख्या: / तेरह-02/जि०आ०प्र०प्रा०/2021-22 दिनांक जुलाई, 2021

प्रतिलिपि:-

1. जिला सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को न्यूनतम स्थान में राजकीय दरों पर दैनिक अमर उजाला, दैनिक हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण में प्रकाशित करते हुए सत्यापित बीजक भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अल्मोड़ा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पदों से सम्बन्धित शैक्षिक योग्यता/अनुभव (अर्हता/पात्रता) एवं अन्य शर्तें (संलग्न) वैबसाईट [www.almora.nic.in](https://almora.nic.in) पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
3. कार्यालय प्रति।

( बी० एल० फिरमाल )  
अपर जिलाधिकारी,  
अल्मोड़ा

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2960 / XVIII-(2)/2018-3(2) / 2016 दिनांक 05 दिसम्बर, 2018 के संलग्नक-2 के अनुसार जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अल्मोड़ा में संविदा/आउटसोर्स के पदों के लिए तैनाती हेतु अर्हता/पात्रता:-

1 शैक्षिक योग्यता, अनुभव एवं आयु:-

क्र° सं°	पद का नाम	शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव	आयु	संविदा अवधि
1	सहायक कंसलटेंट रू० 20,000.00/- प्रति माह ( अधिकतम) नियत वेतन/संविदा के आधार पर	अनिवार्य- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि एवं आपदा प्रबन्धन/ इमरजेंसी रिस्पॉंस, इन्टर एजेन्सी काॅर्डिनेशन में 03 वर्ष का अनुभव एवं कम्प्यूटर की जानकारी	विज्ञापन तिथि से गणना के आधार पर न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 42 वर्ष (उ०राज्य की अ०जा०/अ०ज०जा० हेतु आयु छूट)	11 माह
2	कनिष्ठ अभियंता (सिविल) रू० 35,000.00/- प्रति माह (अधिकतम) नियत वेतन/संविदा के आधार पर	अनिवार्य- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजिनियरिंग में डिप्लोमा एवं 05 वर्ष का कार्य अनुभव अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजिनियरिंग में डिग्री एवं 03 वर्ष का कार्य अनुभव एवं कम्प्यूटर की जानकारी	विज्ञापन तिथि से गणना के आधार पर न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 42 वर्ष (उ०राज्य की अ०जा०/अ०ज०जा० हेतु आयु छूट)	11 माह

2. विभिन्न विभागों में दैनिक वेतन/संविदा एवं आउटसोर्स पर तैनात कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं अनुबन्ध के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, कार्मिक अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या 111 /XXX(2)/2018-30(12)/2018 दिनांक 27.04.2018 तथा 167 /XXX(2)/2018-30(12)/2018 दिनांक 14.06.2018 के नियम 12(3) के अनुसार विभागीय आवश्यकता होने पर कार्मिक की सहमति से कार्याधिक्य के औचित्य के आधार पर सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में 11 माह अथवा कार्य समाप्ति तक जो पहले ही बाह्य श्रोत के माध्यम से केवल सेवाएं ली जा सकती हैं। अतः उक्त पदों पर प्रथमतः संविदा हेतु 11 माह का अनुबंध किया जाएगा। संतोषजनक सेवा होने पर ही संविदा अवधि, 11-11 माह हेतु बढ़ाई जा सकती है।

3. न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना विज्ञापन की तिथि से की जाएगी।

कर्तव्य:- राज्य व जनपद स्तर से आपदा प्रबंधन के अन्तर्गत निर्धारित किये गये शासकीय कार्यों/योजनाओं का क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, क्षमता कार्यों का क्रियान्वयन आदि।